

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

भकरी

बहक

श्री

श्री शंकीर सिंह

पुत्र श्री

श्री शंकीर सिंह

जाति

राजपूत

नि

भकरी हली

मुकदमा नं. *9* / 2019

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक

13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम

श्रील बकरी

खसरा नम्बर

327/341

रकबा *0.8* हैक्टर किरम

(राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री

श्री

श्री शंकीर सिंह

पुत्र श्री

श्री शंकीर सिंह

जाति

राजपूत

निवासी

श्रील बकरी

जिस

आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा

डोल

कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का

अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

को नोटिस शामिल देकर भेजा गया

उद्धार श्री नोटिस भेजा अप्रार्थी के घर एवं करिडोर

रूम पर श्री नोटिस चस्पानगी की गयी - अप्रार्थी 15/3

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा गुम

श्रील बकरी

ख.न. *327, 341*

रकबा *0.8* किरम

भकरी

पर संवत 2075 में

बिना विधिक

कर अतिक्रमण किये

अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर

डोल लगा कर

कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से चेदखत किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिये जावे।

(2) लगान दर रूपया *65.70* का 50 गुणा रूपया *243* (रूपये) शारित कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का *भकरी* भु. अभिलेख निरीक्षक एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

वर्णित पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक *13/3/19* का सरे इजलास सुनाया।

बंकि का नं. वय *214-2* के गृह *54* पत्रावली नं. *240* के *50* की

(494)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)